मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

59, द्वितीय तल, "सी" ब्लॉक नर्मदा भवन अरेरा हिल्स भोपाल (म.प्र.)

क्र.8227/ज.शि.नि.प्र./लोकपाल एनआर–14/2021 भोपाल, दिनांक 26/03/2021

प्रति,

सचिव,
लोकायुक्त कार्यालय,
लोकायुक्त भवन, भोपाल
मध्यप्रदेश।

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की व्यवस्था बावत्।

संदर्भः- 1. राज्य सूचना आयोग का आदेश क्रमांक C-0602/REWA/2020 दिनांक 23.12.2020।
2. आयुक्त, मनरेगा का पत्र क्र. 8031 दिनांक 17.03.2021

---00–

1. विषयांतर्गत राज्य सूचना आयोग के आदेश दिनांक 23.12.2020 के अनुपालन में आयुक्त, मनरेगा भोपाल के पत्र दिनांक 17.03.2021 से मनरेगा लोकपाल के संभागीय कार्यालयों में प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने का लेख किया गया है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (8)A के परिपालन में मनरेगा लोकपाल को प्राप्त शिकायती आवेदन पत्र से संबंधित समस्त दस्तावेज और अभिलेख की जानकारी मनरेगा वेबसाईट पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, जिसके तहत समस्त जानकारी मनरेगा के वेबसाईट पोर्टल http://nregsmp.org/Lokpal/Default.aspx पर निम्न प्रारूप में उपलब्ध कराया गया है -

जिला	प्रकरण शीर्षक	शिकायतकर्ता से प्राप्त मनरेगा संबंधित शिकायत	लोकपाल (मनरेगा) कोर्ट आदेश	प्रकरण की स्थिति
XYZ	मनरेगा शिकायत वाद संख्या XYZ आवेदक/शिकायतकर्ता का नाम XYZ बनाम XYZ (जिसके विरूद्ध शिकायत की गयी है) पता- XYZ	शिकायत की प्रति अपलोड	आदेश की प्रति अपलोड	लंबित/ निराकृत

3. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 04 में प्रत्येक लोक प्राधिकारी के दायित्व दर्शाए गए है। धारा 04 (क) के पालन में परिषद मुख्यालय में संधारित अभिलेखों को वेबसाईट पर अपलोड किया जा चुका है, इसके अतिरिक्त, मनरेगा लोकपाल कार्यालय में संधारित अभिलेखों को भी वेबसाईट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें। यदि अपलोड की प्रक्रिया में कोई व्यवहारिक कठिनाई हो तो परिषद मुख्यालय को अवगत कराया जाए, ताकि अधिनियम की धारा 4 (क) के उल्लंघन की स्थिति उत्पन्न न हो।

4. धारा क्रमांक 04 (ख) के पालन में परिषद मुख्यालय द्वारा बिन्दु क्रमांक (i) , (ii) , (iii) , (iv) , (v) , (vi) , (ix) , (x) , (xi) , (xiv) एवं (xvi) की जानकारी मनरेगा के वेबसाईट पोर्टल पर प्रदर्शित कर दी गई है। इन बिन्दुओं के संबंध में यदि संभागीय मनरेगा लोकपाल कार्यालय में कोई

जानकारी उपलब्ध हो तो उसे वेबसाईट पोर्टल एवं इसी प्रकार, धारा 4 (ख) के शेष बिन्दु, यदि संभागीय मनरेगा लोकपाल कार्यालय से संबंधित हो तो उन्हें भी वेबसाईट पोर्टल पर संभागीय मनरेगा लोकपाल कार्यालय के माध्यम से अपलोड करवाने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त इस लिंक के माध्यम से मनरेगा लोकपाल से संबंधित समस्त जानकारियां एवं अधिनिर्णय समय-समय पर अद्यतन करने की जिम्मेदारी संबंधित मनरेगा लोकपाल कार्यालय की रहेगी।

5. उक्त के अनुक्रम में राज्य सूचना आयोग के आदेश दिनांक 23.12.2020 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक संभागीय मनरेगा लोकपाल कार्यालय में प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की व्यवस्था तत्काल करने एवं मनरेगा लोकपाल कार्यालय में सूचना का अधिकार संबंधी समस्त जानकारी प्रदर्शित करने संबंधी बोर्ड भी लगवाने तथा यूजर नेम एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने हेतु संभागीय मनरेगा लोकपाल कार्यालय में पदस्थ अधिकृत अधिकारी का नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी 03 दिवस में परिषद कार्यालय को उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोपरि

(सचिन सिन्हा)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. 5228 /MGNREGS-MP/NR-14/21 भोपाल, दिनांक 26 /03/2021

प्रतिलिपि:-

1. राज्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल की ओर आदेश क्र.C-06002/REWA/2020/8514 दिनांक 23.12.2020 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त, संभाग समस्त मध्यप्रदेश की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला समस्त मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि मान. लोकपाल से प्राप्त अधिनिर्णय/जांच प्रतिवेदन मूलतः कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किये गये है कृपया बैठक में मान.लोकपाल से पारित अधिनिर्णय एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. मुख्यकार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला समस्त की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है, कलेक्टर से प्राप्त मान. लोकपाल के अधिनिर्णय को तथा उस पर की गई कार्यवाही को उल्लेखित लिंक पर निर्धारित प्रारूप में पी.ओ/ए.पी.ओ मनरेगा से 03 तीन दिवस में अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इस हेतु पी.ओ/ए.पी.ओ की डयूटी लगाई जाकर परिषद को सूचित किया जावें।
5. श्री अंशुल अग्रवाल, सिस्टम एनालिस्ट, रोजगार गारंटी परिषद, की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि राज्य सूचना आयोग के पारित ओदश दिनांक 23.12.2020 के अनुसार मनरेगा के पोर्टल पर समस्त दस्तावेज अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें तथा इस हेतु वांछित लॉगिन एवं पासवर्ड मनरेगा लोकपाल/जिलों को प्रदाय करें एवं समस्त कार्यवाही 03 दिवस की समय-सीमा में पूर्ण करें।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र. ....

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

नस्ती क्र. ....

विषय- 0602/SIC/REWA/2020

द्वितीय अपील पुष्पराज तिवारी, विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी ; कार्यालय पुलिस अधीक्षक रीवा सम्भाग जिला रीवा म0प्र0 आवेदन दि0 18/12/2018 के संबंध में शिकायत पत्र

पीठासीन : राहुल सिंह, राज्य सूचना आयुक्त

C - 0602/REWA/2020

श्री पुष्पराज तिवारी — अपीलकर्ता

VERSUS

(1) प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल जिला–भोपाल म0प्र0	(2) मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल जिला–भोपाल म0प्र0
(3) लोकपाल मनरेगा, जिला– रीवा म0प्र0	(4) लोक सूचना अधिकारी एवं निरीक्षक विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय रीवा, संभाग रीवा जिला– रीवा म0प्र0
(5) लोक सूचना अधिकारी लोकायुक्त कार्यालय समाधान भवन, भोपाल जिला– भोपाल म0प्र0	

प्रतिवादीगण

JC (Legal)

8-3-21

23/12

(1) आयोग के समक्ष धारा 18 के तहत प्राप्त शिकायत का आधार:–

आवेदक द्वारा दिनांक 23/07/2020 को लोकपाल मुख्यालय रीवा में लोक सूचना अधिकारी पदस्थ नहीं होने के संबंध में शिकायत की गई है।

(2)आयोग द्वारा सीविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत की गई जॉच उपरांत उपलब्ध तथ्य:-

(1) लोकपाल कार्यालय मे आरटीआई की वर्तमान स्थिति

1) प्रकरण में आवेदक श्री पुष्पराज तिवारी द्वारा आरटीआई एक्ट 2005 के तहत लोकपाल मनरेगा के सम्बंध में आरटीआई आवेदन कार्यालय लोकपाल मनरेगा, मुख्यालय रीवा, में प्रस्तुत किया गया किंतु कार्यालय द्वारा आवेदन यह कहकर लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया गया कि यहाँ कोई लोक सूचना अधिकारी नही है।

शा0मु0भो0—118—अ0रा0मु0भो0—16 9-20—30,000

Scanned with CamScanner

"आरटीआई एक्ट 2005 धारा 2(H) d(i) के अंतर्गत ऐसा कोई निकाय है,जो सरकार के स्वामित्वाधीन,नियंत्राधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषण हैं ,लोक प्राधिकारी है।"

6) लोकपाल मनरेगा अधिनियम के अध्याय.7, प्रकीर्ण, विंदु क्रमांक 12 में निर्देशित है कि लोकपाल मनरेगा द्वारा निपटाये गए मामलों की रिपोर्ट राज्य रोजगार गारंटी परिषद और विधानसभा को प्रस्तुत करेगा।

" सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) J के अंतर्गत वह सूचना जिसको यथास्थिति संसद या किसी राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जा सकता।"

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि लोकपाल मनरेगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(H) के तहतें लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आता है।तथा लोक प्राधिकारी द्वारा संकलित की गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत देने योग्य हैं।

(3) लोकपाल मनरेगा में जानकारी का स्वरूप कैसा हो

लोकपाल मनरेगा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज, अभिलेख,परामर्श, एवं संविदा हैं उनकी जानकारी विधिवत सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के तहत वेबसाइट, पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाए ताकि आरटीआई आवेदन से लोकपाल (मनरेगा) कार्यालय के संसाधनों पर विपरीत प्रभाव न पड़े ।

बिहार राज्य में लोकपाल मनरेगा के प्रकरण निराकरण संबंधी लोकपाल कोर्ट आदेश जिला वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। (संलग्नक 5)इस तरह की व्यवस्था संस्था की पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हुए जनता के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह बनाता हैं।

मनरेगा अधिनियम में प्रकरण से जुड़े दस्तावेज को मनरेगा अधिनियम अध्याय 3, लोकपाल के कर्तव्य नियम 6 (घ) (ङ) में स्वतः ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

4) म0प्र0 में संचालित लोकपाल मनरेगा में सूचना का अधिकार कानून की आवश्यकता

यद्यपि इस व्यवस्था के अंतर्गत मनरेगा में एक बड़ा वर्ग (गरीब पिछड़ा महिला वंचित) इसके अंतर्गत कार्य करता हैं देश की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास हेतु इस योजना का अत्यंत महत्व है। किंतु इस योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उपरोक्त वर्ग और ग्रामीण अधोसंरचना के विकास को प्रभावित करती हैं। मनरेगा में भ्रष्टाचार निवारण तथा पारदर्शिता को बनाये रखने हेतु सूचना का अधिकार अत्यंत आवश्यक है।

यदि किसी मजदूर को मजदूरी नही मिलती या मनरेगा में भ्रष्टाचार की शिकायत की जाती हैं। तो शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई आवेदक को इसकी कोई जानकारी नही होती। जबकि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के अंतर्गत उसे यह जानने का हक हैं।

आयोग के समक्ष लोकपाल मनरेगा से संबंधित कई शिकायतें धारा 18 के तहत प्राप्त हुई हैं।

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

नस्ती क्र. ....

C-0602/SIC/REWA/2020

द्वितीय अपील पुष्पराज तिवारी; विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय पुलिस अधीक्षक रीवा संभाग जिला रीवा म0प्र0 आवेदन दि0 18/12/2018 के संबंध में शिकायत पत्र।

(B)

जिला	प्रकरण शीर्षक	शिकायतकर्ता से प्राप्त मनरेगा संबंधित शिकायत	लोकपाल (मनरेगा) कोर्ट आदेश	प्रकरण की स्थिति
XYZ	मनरेगा शिकायत वाद संख्या XYZ आवेदक/शिकायतकर्ता का नाम XYZ बनाम XYZ (जिसके विरूद्ध शिकाय़त की गयी हैं) पता - XYZ	शिकायत की प्रति अपलोड	आदेश की प्रति अपलोड	लंबित/ निराकृत

(3) आयोग के आदेश के बावजूद अगर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोकपाल (मनरेगा) की जानकारी देने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में आरटीआई आवेदन के संबंध में आयोग के समक्ष शिकायत प्राप्त होने पर लोक प्राधिकारी के रूप में प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल को इसमें डीम्ड लोक सूचना अधिकारी माना जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने के संदर्भ में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु लोकपाल मनरेगा द्वारा दिनाँक 31/08/2020 को प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल को पत्र लिखा गया है। इससे आयोग के समक्ष यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में निर्णय लेने की अधिकारिता प्रमुख सचिव स्तर पर है। साथ ही समस्त जानकारियां लोकपाल अधिनियम के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रण में उपलब्ध होती हैं

"आयोग 3 माह का समय लोक प्राधिकारी को लोकपाल मनरेगा में आरटीआई की व्यवस्था स्थापित करने हेतु देता है अन्यथा स्थिति में धारा 18 के तहत लोक प्राधिकारी के रूप में प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के विरुद्ध शिकायत को ग्रहण कर सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों के अवलोकन उपरांत आयोग के समक्ष यह स्पष्ट है कि लोकपाल (मनरेगा), प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज, अभिलेख की जानकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल को प्रेषित करता हैं। और उपरोक्त दस्तावेज, अभिलेख प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल की अभिरक्षा में होते हैं।"

(C)

(4) आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(a) के तहत प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल को आदेशित करता है कि प्रदेश के समस्त लोकपाल मनरेगा कार्यालयों में लोकपाल मनरेगा से जुड़े आरटीआई आवेदन लोकपाल कार्यालय में दायर करने हेतु लोक सूचना

शा.क.मुभो — 118 — असरामुआभो — 16-9-20 — 30,000.

पृ. क्र. ....

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

नस्ती क्र. ....

A-0602/SIC/REWA/2020

द्वितीय अपील पुष्पराज तिवारी, विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय पुलिस अधीक्षक रीवा सम्भाग जिला रीवा म0प्र0 आवेदन दि0 18/12/2018 के संबंध में शिकायत पत्र

(5) लोक सूचना अधिकारी
लोकायुक्त कार्यालय
समाधान भवन, भोपाल
जिला– भोपाल म0प्र0

(6) श्री राजेश कुमार जैन
संभागीय कमिश्नर, रीवा
जिला– रीवा म0प्र0

(7) श्री सचिन सिन्हा / प्रमुख सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
विभाग मंत्रालय, भोपाल
जिला–भोपाल म0प्र0

(8) कलेक्टर, रीवा
जिला–रीवा म0प्र0

(9) कलेक्टर, सतना
जिला–सतना म0प्र0

(10) कलेक्टर, सीधी
जिला–सीधी म0प्र0

(11) कलेक्टर, सिंगरौली
जिला–सिंगरौली म0प्र0

(12) पुष्पराज तिवारी (अपीलार्थी)
ग्राम डाढ़ पो0 जमुई तहसील
त्योंथर जिला रीवा म0प्र0

अनुभाग अधिकारी

23-12-2020

http://164.100.196.227/MPSIC/printNoteSheet.do

Scanned with CamScanner